

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दाँतारामगढ़ जिला-सीकर

क्रमांक/कैम्प/2021/153

दिनांक 18/10/2021

### आदेश

रिपोर्ट तहसीलदार/ नाह तहसीलदार लोहलु के आधार पर आदेश प. ६० री. १

श्री श्री ख. न. 1008 ता 1083 डि. 4 नंका 1.22 है. के खातेदार जोधा पुत्र बौद्ध के स्थान पर जोधाराम पुत्र बौद्धराम दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं। उली जी न्यायालय का स्थान न हो व राजस्व रिकार्ड में कम दरामद करें। शेष जमावती बंदस्तु रहे।

तहसीलदार दाँतारामगढ़ निर्देशित किया जाता है कि आदेश के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारापद कर पालना में न्यायालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

प्रशासन (गि) के संग अभियान -2021

राजेश कुमार मीणा  
उपखण्ड अधिकारी दाँतारामगढ़ जिला सीकर